न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 /2022 दावा/बउनवान/पुरूषोत्तम वगैरा/खामोशीबाई वगैरा

1. पुरूषोत्तम पुत्र श्री प्रभूलाल जाति धाकड,
2. बिरधीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति धाकड,
3. मन्जू पुत्री श्री प्रभूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

–वादीगण–

–बनाम–

1. श्रीमती खामोशीबाई बेवा श्री मुरारीलाल जाति ब्राह्मण,
2. विष्णु कुमार पुत्र श्री मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा,
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 48, 49, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :– 19.12.2022

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 150 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नंबर 151 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 152 रकबा 2.24 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 3.34 हैक्टर आराजी वाके ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादीगण की आराजी से उत्तर में संलग्न प्रतिवादी कं. 1, 2 के खाते की आराजी खसरा नंबर 110 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नंबर 113 रकबा 1.68 हैक्टर आराजी भी वाके ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद स्थित है जो सरकारी सडक खसरा नंबर 310 से संलग्न स्थित है तथा वादीगण सडक खसरा नंबर 310 से अपने खेत खसरा नंबर 150, 151, 152 तक प्रतिवादीगण के खाते की आराजी खसरा नंबर 110, 113 में पश्चिमी मेड पर होकर आवागमन करते हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त आवागमन का स्थल प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 के नाम खाते में दर्ज होने से वादीगण व प्रतिवादीगण के [illegible] दिन तनाजा बना रहता है जिसके चलते वादीगण द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय [illegible] के यहां शिकायत की थी जिसमें उभय पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से रास्ते की [illegible] की एवज में समान रकबे की आराजी का विनिमय करने का समझौता दिनांक 24.11.2022 को हो गया था। विनिमय की जाने वाली आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:47 IST
Reason: SelfAttested

मजिस्ट्रेट
जिला कोटा

का नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :–

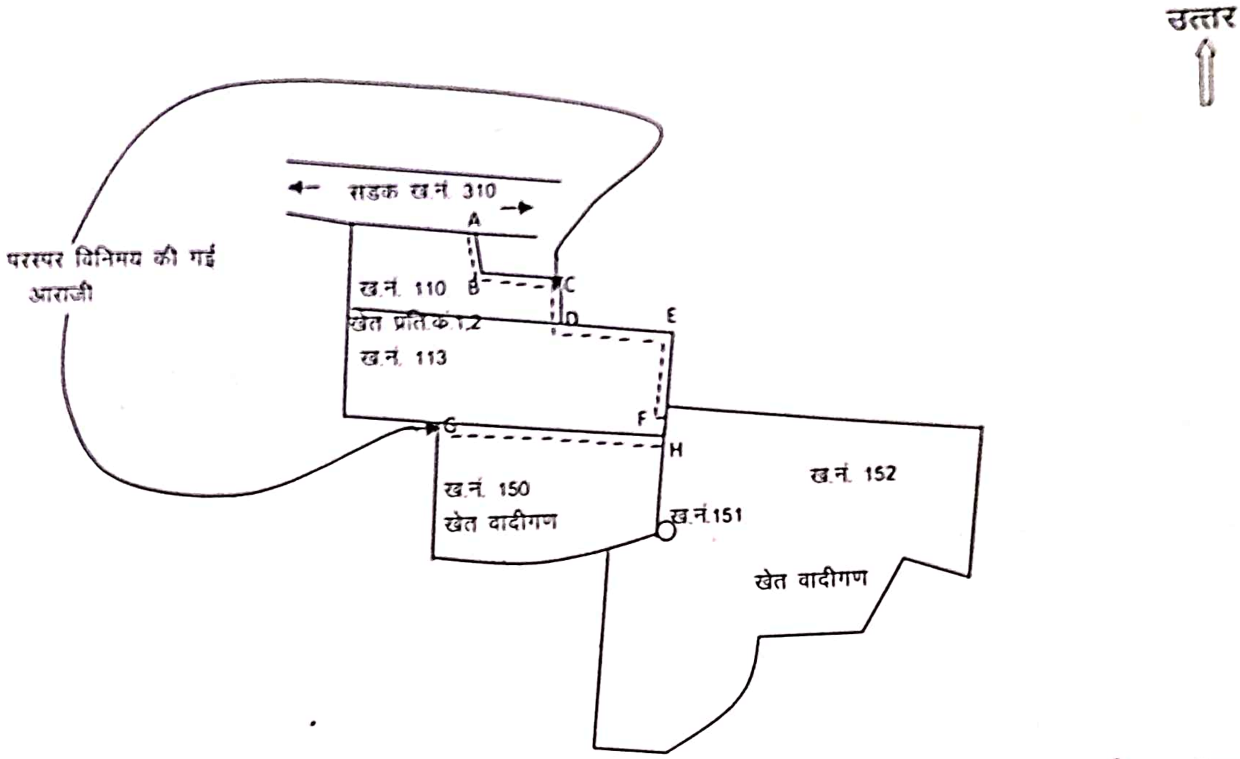

वादपत्र में यह भी अंकित किया गया है कि वादीगण की उपरोक्त आराजी में आवागमन व काश्त की सुविधा को मध्यनजर रखते हुये वादी अपने खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 150 में से 0.1050 हैक्टर उत्तरी आराजी(जिसे नजरी नक्शे में ळ से ᠊ बिन्दुओं से इंगित किया है) से प्रतिवादी कं. 1, 2 के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 110 में से 0.05 हैक्टर पूर्वी(जिसे नजरी नक्शे में ।एठएव्एक बिन्दुओं से इंगित किया है), खसरा नंबर 113 में से 0. 0550 हैक्टर पूर्वी (जिसे नजरी नक्शे में क्एम्एथ बिन्दुओं से इंगित किया है) कुल किता 2 की कुल 0.1050 हैक्टर आराजी से परस्पर विनिमय करना चाहते हैं जिसके अनुसार परस्पर खाते दर्ज करने व कब्जा भी उक्तानुसार विनिमय करने से वादीगण को अपनी आराजी को बेहतर ढंग से कास्त करने में सुविधा होगी तथा भविष्य में वादीगण को अपने खेत तक आवागमन करने की समस्या से भी मुक्ति प्राप्त होगी व पक्षकारों के मध्य मौजूद वाद–विवादों का भी स्थाई रूप से अन्त हो जायेगा। ऐसी परिस्थितियों में न्यायहित में उक्त विनिमयानुसार पक्षकारों को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना एवं मौके के कब्जेकाश्त को विनिमय करने हेतु माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारन दिनांक 24. 11.2022 को पक्षकारान के मध्य श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सांगोद के कार्यालय में लिखित समझौता होने पर उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार [illegible] तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त [illegible] ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय [illegible] करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः माल ग्राम लालाहेडा तहसील [illegible] स्थित वादीगण के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 150 में से 0.1050 हैक्टर [illegible]री आराजी(जिसे नजरी नक्शे में ळ से ᠊ बिन्दुओं से इंगित किया है) की एवज में प्रतिवादी कं. 1, 2 के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद जिला- कोटा

110 में से 0.05 हैक्टर पूर्वी(जिसे नजरी नक्शे में ।एठएबठ बिन्दुओं से इंगित किया है), खसरा नंबर 113 में से 0.0550 हैक्टर पूर्वी (जिसे नजरी नक्शे में ठएएठ बिन्दुओं से इंगित किया है) कुल किता 2 की कुल 0.1050 हैक्टर आराजी रिकार्ड व मौके पर विनिमय किया जावे तथा उक्तानुसार नजरी नक्शे में ।एठएबठएएठएथएल बिन्दुओं से इंगित 0.1050 हैक्टर आराजी का वादीगण को एवं ळ से भ बिन्दुओं से इंगित 0.1050 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी कं. 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे व मौके पर उक्तानुसार पत्थरगढी, सीमांकन कर जुदा–जुदा कब्जा सम्भलाया जावे।

वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी उभय पक्षकारों ने हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा दावा डिकी करने का निवेदन किया। राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया गया। उभय पक्षकारों द्वारा दावा वादी डिकी करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों व राजीनामा पक्षकारान के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादीगण के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 150 में से 0.1050 हैक्टर उत्तरी आराजी(जिसे नजरी नक्शे में G से H बिन्दुओं से इंगित किया है) की एवज में प्रतिवादी कं. 1, 2 के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 110 में से 0.05 हैक्टर पूर्वी(जिसे नजरी नक्शे में A,B,C,D बिन्दुओं से इंगित किया है), खसरा नंबर 113 में से 0.0550 हैक्टर पूर्वी (जिसे नजरी नक्शे में D,E,F बिन्दुओं से इंगित किया है) कुल किता 2 की कुल 0.1050 हैक्टर आराजी रिकार्ड व मौके पर विनिमय किया जावे तथा उक्तानुसार नजरी नक्शे में A,B,C,D,E,F,G बिन्दुओं से इंगित 0.1050 हैक्टर आराजी का वादीगण को एवं G से H बिन्दुओं से इंगित 0.1050 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी कं. 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगोद को निर्देश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे तथा मौके पर उक्तानुसार पत्थरगढी, सीमांकन करके पक्षकारों को जुदा–जुदा कब्जा सम्भलाया जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड (राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखन्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

बइजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 /2022 दावा/बउनवान/पुरुषोत्तम वगैरा/खामोशीबाई वगैरा

1. पुरुषोत्तम पुत्र श्री प्रभूलाल जाति धाकड नि0 लालाहेडा तह0 सांगोद जिला कोटा,
2. बिरधीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति धाकड नि0 लालाहेडा तह0 सांगोद जिला कोटा,
3. मन्जू पुत्री श्री प्रभूलाल जाति धाकड नि0 लालाहेडा तह0 सांगोद जिला कोटा। –वादीगण–

–बनाम–

1. श्रीमती खामोशीबाई बेवा श्री मुरारीलाल जाति ब्राह्मण,
2. विष्णु कुमार पुत्र श्री मुरारीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा.
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 48, 49, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मि.नं. /2022

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 48, 49, 209 आर0 टी0 एक्ट.

तारीख फैसला दिनांक 19.12.2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसात कतई रूबरू ——— बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादीगण स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम लालाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादीगण के खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 150 में से 0.1050 हैक्टर उत्तरी आराजी(जिसे नजरी नक्शे में G से H बिन्दुओं से इंगित किया है) की एवज में प्रतिवादी क्रं. 1, 2 के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 110 में से 0.05 हैक्टर पूर्वी(जिसे नजरी नक्शे में A,B,C,D बिन्दुओं से इंगित किया है), खसरा नंबर 113 में से 0.0550 हैक्टर पूर्वी (जिसे नजरी नक्शे में D,E,F बिन्दुओं से इंगित किया है) कुल किता 2 की कुल 0.1050 हैक्टर आराजी रिकार्ड व मौके पर विनिमय किया जावे तथा उक्तानुसार नजरी नक्शे में A,B,C,D,E,F,G बिन्दुओं से इंगित 0.1050 हैक्टर आराजी का वादीगण को एवं G से H बिन्दुओं से इंगित 0.1050 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी क्रं. 1, 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगोद को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे तथा मौके पर उक्तानुसार पत्थरगढी, सीमांकन करके पक्षकारों को जुदा–जुदा कब्जा सम्भलाया जावे।

निज ——— मुबलिग ——— बाबत ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ——— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 19.12.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजेश डागा)
सांगोद, उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलेह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महनताना वकील			[illegible]		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 12:02:47 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद कोटा